

24.08.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अजायब सिंह जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार उपस्थित आये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसी कारण वादी अपने वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़